

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सोहनलाल बनाम मोहनलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 204/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सोहनलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>रामलाल कुमावत</u></p> <p>निवासी- <u>चित्तौड़ीखेड़ा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>चित्तौड़ी (पण्डे रेसल)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>333/221</u></p> <p><u>334/226</u>, <u>335/228</u>, <u>336/229</u> <u>0.4300</u></p> <p><u>0.1500</u>, <u>0.1000</u>, <u>0.3300</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> कुल रकबा <u>1.0100</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>चित्तौड़ी (पण्डे रेसल)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>333/21</u>, <u>334/226</u>, <u>335/228</u>, <u>336/229</u></p> <p><u>0.4300</u>, <u>0.1500</u>, <u>0.1000</u>, <u>0.3300</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> रकबा <u>1.0100</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>10000=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>20/6/23</u></p>